चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 03.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम के लिये अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार तथा उनकी टीम द्वारा गैर-इरादतन हत्या के 03 नामजद अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 02 बण्डल लोहे का तार व लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 25.01.2024 को वादी श्री फूलचन्द्र पुत्र मोहन कोल निवासी सोसाइटी कोलान मजरा अमचुरनेरुआ थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी में सूचना दी कि प्रधान उर्फ रामनरेश कोल पुत्र कैरा कोल, राजकुमार पुत्र चुक्की निवासीगण छेरिया बुजुर्ग थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट तथा लवलेश कोल पुत्र दादूभाई निवासी कल्याणपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा ग्राम छेरिया बुजुर्ग अन्तर्गत कैरा के खेतों में जंगली जानवारों का शिकार करने के लिये करंट के तार बिछाये थे, जिनमें फंस कर मेरी भाभी श्रीमती शांति पत्नी रामकुशल कोल की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0स0 09/2024 धारा 304 भादवि0 बनाम प्रधान, राजकुमार, लवलेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

थानाध्यक्ष मारकुण्डी तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 04.02.2024 को अभियुक्त प्रधान, राजकुमार, लवलेश उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त 02 बण्डल लोहे के तार तथा तार बिछाने में प्रयोग की गयी 06 अदद लकड़ी बरामद के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.प्रधान उर्फ रामनरेश कोल पुत्र कैरा कोल

2.राजकुमार पुत्र चुक्की कोल निवासीगण छेरिया बुजुर्ग   थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट

3.लवलेश कोल पुत्र दादूभाई निवासी कल्याणपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1.घटना में प्रयुक्त 02 बण्डल लोहे के तार

2. तार बिछाने में प्रयोग की गयी 06 अदद लकड़ी

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार
2. आरक्षी सतीश कुमार
3. आरक्षी प्रद्युमन दुबे

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह ने निर्देशन में वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं0 90/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त अनिरूद्ध उर्फ कल्लू प्रजापति निवासी बरूई मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना भरतकूप
2. मुख्य आरक्षी कल्लू खां